

परिवहन विभाग  
राजस्थान सरकार

एफ 16(16)(1)/परि/लेखा/राजस्व लक्ष्य/2019-20/

1281

दिनांक: 20/11/2020

कार्यालय आदेश क्रमांक 04/2020

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक: 11/2019 दिनांक 13.06.2019 द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित राजस्व लक्ष्यों में संशोधन करते हुए निम्न जिला परिवहन कार्यालयों को, निम्नानुसार संशोधित राजस्व लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं:-

(राशि रू. करोड़ में)

क्र.स.	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	मूल लक्ष्य 2019-20	संशोधित लक्ष्य 2019-20	संशोधित लक्ष्य		
				जनवरी 2020	फरवरी 2020	मार्च 2020
1	भिवाड़ी	59.33	67.33	7.50	6.83	14.43
2	खेतड़ी	9.63	12.13	1.46	1.46	2.82
3	शाहपुरा (भीलवाडा)	39.77	42.77	3.99	3.20	12.32
कुल		108.73	122.23			

उक्त जिला परिवहन कार्यालय आवंटित राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। राजस्व लक्ष्यों की समीक्षा पर, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं करने पर संबंधित जिला परिवहन अधिकारी के विरुद्ध राज्यादेशों की अवहेलना के मद्देनजर नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारण एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी।

(राजेश यादव)  
प्रमुख शासन सचिव  
एवं आयुक्त, परिवहन

एफ 16(16)(1)/परि/लेखा/राजस्व लक्ष्य/2019-20/

1282-87

दिनांक: 20/11/2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, राज.सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, राज. जयपुर।
4. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण.....
5. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.....
6. सिस्टम ऐनालिस्ट को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

*Oral*  
वित्तीय सलाहकार